भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-409

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एफजीडी यूनिटों की संस्थापना

***409. श्री संजय जाधव:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों को फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन (एफजीडी) यूनिट लगाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निजी विद्युत उत्पादकों की स्थिति क्या है जो मेगावाट क्षमता वाली एफजीडी यूनिट लगा रहे हैं;

(ग) विभिन्न बोली लगाने वालों को प्रदत्त समस्त कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा एफजीडी यूनिटें लगाने हेतु सिविल, यांत्रिक एवं वैद्युत कार्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि निजी विद्युत उत्पादक लागत संबंधी प्रभावों के कारण एफजीडी यूनिटें लगाने से बच रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"एफजीडी यूनिटों की संस्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 409 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (ङ) : निजी स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज) सहित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा अधिसूचित, सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जनों और समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए निर्देशों, सहित उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने टीपीपीज द्वारा चुने गए SO_2 उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) उपकरण/प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए हैं।

सीईए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी की संस्थापना की प्रगति की निगरानी में सीपीसीबी की सहायता करता है। सीईए एफजीडी उपकरणों की संस्थापना के लिए टीपीपीज द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करता है। एफजीडी संस्थापना के सभी स्तरों, शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन, पूरे किए गए व्यवहार्यता अध्ययन, बनाए गए निविदा विनिर्देश, जारी किए गए एनआईटी, अवार्ड की गई बोलियां और कमीशन किए गए एफजीडी की निगरानी की जाती है। आईपीपीज के संबंध में वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालना के लिए टीपीपीज के लिए निम्नलिखित दंड प्रावधान प्रदान किए गए हैं:

श्रेणी और विवरण	**अनुपालन के लिए समय-सीमा**	**समय-सीमा से परे गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरण मुआवजा (रुपये प्रति यूनिट विद्युत उत्पन्न)**		
		0-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन और उससे आगे
श्रेणी क - एनसीआर के 10 किमी के दायरे में या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर।	31.12.2022 तक	0.10	0.15	0.20
श्रेणी ख - सीपीसीबी द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में।	31.12.2023 तक	0.07	0.10	0.15
श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल शहरों के अलावा अन्य।	31.12.2024 तक	0.05	0.075	0.10

****

अनुबंध

"एफजीडी यूनिटों की संस्थापना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निजी क्षेत्र

श्रेणी	एफजीडी स्थिति	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
क	अवार्ड की गई निविदा	2	240
	खोली गई निविदा	3	362
	शुरू नहीं किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	540
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	4	1175
	संस्थापित एफजीडी	4	2070
	नए रूप से आरंभ किया गया	1	12
	एनआईटी जारी किया गया	3	750
	प्रस्तुत नहीं की गई योजना	4	240
क कुल		**23**	**5389**
ख	अवार्ड की गई निविदा	2	600
	खोली गई निविदा	3	1050
	सीएफबीसी	2	300
	शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	300
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	2	1200
	एनआईटी जारी किया गया	4	1200
	बनाए गए निविदा विनिर्देश	2	1200
ख कुल		**17**	**5850**
ग	अवार्ड की गई निविदा	25	15040
	खोली गई निविदा	21	10890
	सीएफबीसी	37	3699
	SO_2 के अनुरूप होने का दावा	11	2525
	शुरू नहीं किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	2	1370
	शुरू किया गया व्यवहार्यता अध्ययन	8	2780
	पूरा हुआ व्यवहार्यता अध्ययन	9	3780
	संस्थापित एफजीडी	11	4880
	नए रूप से आरंभ किया गया	3	1005
	एनआईटी जारी किया गया	30	13840
	प्रस्तुत नहीं की गई योजना	4	855
	प्रस्तुत की गई योजना	2	500
	बनाए गए निविदा विनिर्देश	7	3600
ग कुल		**170**	**64764**
कुल योग		**210**	**76003**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4644

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

4644. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य विशेषताएं, कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कुल बजटीय आवंटन और जारी की गई निधि की मात्रा का गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) नुकसान को कम करने तथा 24X7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उक्त योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत पूरा किए जाने वाले कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) आरंभ की थी जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमकारी कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इन्सुलेटिड उप-केंद्र (जीआईएस); तथा रीयल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम (आरटी-डीएएस) जैसी वितरण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन किया जाता है।

अब तक, आईपीडीएस के अंतर्गत, यहां दर्शाए गए परियोजना घटकों को कवर करते हुए 30,522 करोड़ रूपये [भारत सरकार (जीओआई) के 19,139 करोड़ रूपये के अनुदान सहित] मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 17,058 करोड़ रूपये का जीओआई अनुदान जारी किया जा चुका है।

गुजरात राज्य सहित आईपीडीएस के अंतर्गत राज्य-वार स्वीकृतियों और संवितरणों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

आईपीडीएस के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय निधियन की व्यवस्था की जा रही है। आईपीडीएस के अंतर्गत भूमिगत (यूजी) केबलिंग तथा ऐरियल बंच्ड (एबी) केबल और मीटरिंग के लिए भी निधियां स्वीकृत की गई हैं, जिससे एटी एंड सी हानियां कम करने में सहायता मिलेगी।

आईपीडीएस के अंतर्गत, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 547 परिमंडलों को कवर करते हुए प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं वितरण (एसटीएंडडी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 546 परिमंडलों में वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आईपीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के राज्य-वार कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

आईपीडीएस के अलावा, सरकार ने हाल ही में, वितरण यूटिलिटियों के लिए परिणाम-संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) और अतिरिक्त उधारी के लिए एक स्कीम शुरू की है, ये दोनों ही एटी एंड सी हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के क्षेत्र में सुधार हेतु वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़ी हैं। इस संबंध में सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को अलंघनीय रूप से वितरण यूटिलिटियों और राज्यों को निधियां जारी करने से जोड़ा गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4644 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरित राशि का राज्य-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आईपीडीएस (कुल)**		
		परियोजना लागत/समापन लागत	**भारत सरकार से अनुदान**	**भारत सरकार से अनुदान संवितरण**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31	19	10
2	आंध्र प्रदेश	868	523	503
3	अरुणाचल प्रदेश	159	136	110
4	असम	716	609	560
5	बिहार	2967	1786	1441
6	छत्तीसगढ़	610	367	318
7	दिल्ली	198	119	108
8	गोवा	84	51	44
9	**गुजरात**	**1067**	**642**	**642**
10	हरियाणा	447	269	182
11	हिमाचल प्रदेश	190	162	145
12	जम्मू एवं कश्मीर	452	384	326
13	झारखंड	768	462	448
14	कर्नाटक	1358	818	792
15	केरल	659	397	392
16	लद्दाख	20	17	15
17	महाराष्ट्र	2551	1536	1361
18	मणिपुर	134	114	96
19	मेघालय	108	92	55
20	मिजोरम	111	95	82
21	मध्य प्रदेश	1644	990	937
22	नागालैंड	135	115	108
23	ओडिशा	1153	694	590
24	पुद्दुचेरी	22	13	9
25	पंजाब	457	275	236
26	राजस्थान	1537	925	826
27	सिक्किम	101	86	92
28	तमिलनाडु	1745	1051	1010
29	तेलंगाना	752	453	451
30	त्रिपुरा	221	188	139
31	उत्तर प्रदेश	5472	3295	2959
32	उत्तराखंड	725	617	478
33	पश्चिम बंगाल	3059	1841	1586
कुल		**30522**	**19139**	**17058**

स्रोत: पीएफसी

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4644 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के राज्य-वार कार्यान्वयन की स्थिति (दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस/एस - नए (सं.)	एस/एस - संवर्धन (सं.)	डीटीआर (सं.)	एलटी लाइन (सीकेएम)	एचटी लाइन (सीकेएम)	उपभोक्ता मीटर (सं.)	डीटी मीटर (सं.)	फीडर मीटर (सं.)	एबीसी (सीकेएम)	यूजीसी (सीकेएम)	स्मार्ट मीटर (सं.)	प्रीपेड मीटर (सं.)	बाउंडरी मीटर (सं.)	सोलर पैनल्स (केडब्ल्यूपी)
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36800	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	**104**	96	2856	384	982	373958	7104	134	266	39	0	0	0	2592
3	अरुणाचल प्रदेश	**1**	0	470	234	312	0	0	0	67	4	0	0	0	33
4	असम	**13**	39	686	179	617	66782	1005	269	2454	5	0	2553	123	604
5	बिहार	**63**	149	4970	10	1879	272575	6765	1555	8389	618	471491	0	49	1696
6	छत्तीसगढ़	**32**	64	1701	60	1098	0	111	0	3377	43	0	0	415	65
7	दिल्ली	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गोवा	**0**	0	0	0	0	129551	0	0	0	0	0	0	0	410
9	गुजरात	**19**	55	6111	98	539	876402	11533	0	5300	2088	0	0	2	1126.93
10	हरियाणा	**5**	5	1001	39	283	6640	0	0	1052	290	0	0	0	423
11	हिमाचल प्रदेश	**1**	2	390	66	76	41785	677	18	383	0	75712	0	45	1106.73
12	जम्मू एवं कश्मीर	**15**	44	840	46	150	0	1201	0	997	0	0	0	0	275
13	झारखंड	**26**	42	1675	0	539	53461	0	2705	2174	134	0	0	0	310
14	कर्नाटक	**7**	2	3899	457	950	616789	681	0	2068	1300	0	0	72	8318
15	केरल	**3**	12	885	199	444	646392	4109	131	1188	211	805	680	304	4960
16	लद्दाख	**0**	4	82	0	25	0	97	0	62	0	0	0	0	5
17	मध्य प्रदेश	**58**	133	4391	1444	2017	538913	6498	24	3450	9	243313	0	100	467
18	महाराष्ट्र	**114**	116	5048	951	1381	718836	0	356	2355	4602	0	0	196	0
19	मणिपुर	**4**	2	200	0	130	12	381	0	989	0	0	35409	0	0
20	मेघालय	**6**	2	53	57	75	0	0	0	0	0	0	6382	12	210
21	मिजोरम	**2**	2	55	136	135	3800	0	45	91	0	0	0	17	21
22	नागालैंड	**1**	1	121	95	131	59000	648	31	0	0	0	19000	10	20
23	ओडिशा	**14**	92	1983	0	754	313987	2815	246	3404	18	0	0	70	635
24	पुदुचेरी	**0**	0	50	0	4	35000	0	0	0	12	0	0	0	100
25	पंजाब	**0**	0	1757	91	305	15770	3831	0	286	1	88107	0	0	379.6
26	राजस्थान	**127**	195	2395	81	664	8177	0	127	79	2817	365720	0	0	388
27	सिक्किम	**1**	2	39	18	5	79	392	82	28	92	0	26951	43	345
28	तमिलनाडु	**68**	41	1094	1747	4266	2516056	46000	1206	153	1747	0	0	2055	2082
29	तेलंगाना	**54**	54	4284	1634	853	230315	1933	281	352	216	0	6375	0	2521
30	त्रिपुरा	**6**	1	437	11	40	0	0	139	365	218	0	22500	44	31
31	उत्तर प्रदेश	**196**	242	7904	2359	3689	286249	5647	303	9660	4440	0	0	6	10067
32	उत्तराखंड	**1**	37	293	0	174	34551	972	181	680	459	0	0	48	2735
33	पश्चिम बंगाल	**50**	167	4353	11	1147	731541	1758	0	14632	1925	0	0	0	4160
कुल		**991**	**1601**	**60023**	**10409**	**23662**	**8576621**	**104158**	**7833**	**64304**	**21287**	**1281948**	**119850**	**3611**	**46086**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4703

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु प्रयुक्त स्रोत

4703. श्रीमती मेनका संजय गांधी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त स्रोतों का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत उत्पादन के लिए मौजूदा नवीकरणीय क्षमता का कम उपयोग हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश की सीओपी 26 प्रतिबद्धताओं के आधार पर कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान संस्थापित क्षमता के स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : नवीकरणीय ऊर्जा को मस्ट रन के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के स्रोत-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कुल लगभग 152.899 गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (वृहत् जलविद्युत सहित) संस्थापित की गई है। वर्ष 2030 तक वृहत् जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 500 गीगावाट होने की संभावना है।

देश की सीओपी26 प्रतिबद्धता के आधार पर, कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय एवं परमाणु स्रोतों में और अधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी। इस अभिवृद्धि से, कोयला आधारित उत्पादन क्षमता का हिस्सा दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार 51.5% से घटकर दिनांक 31.03.2030 तक 31.8% होने की संभावना है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2022 तक) के दौरान संस्थापित क्षमता के स्रोत-वार ब्यौरे

स्रोत/ईंधन	दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार		दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार	
	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा	क्षमता (मेगावाट)	% हिस्सा
थर्मल								
कोयला	203899.50	51.54	202674.50	53.04	198524.50	53.64	194444.50	54.60
लिग्नाइट	6620.00	1.67	6620.00	1.73	6610.00	1.79	6260.00	1.76
गैस	24899.51	6.29	24924.01	6.52	24955.36	6.74	24937.22	7.00
डीजल	509.71	0.13	509.71	0.13	509.71	0.14	637.63	0.18
थर्मल कुल	**235928.72**	**59.64**	**234728.22**	**61.42**	**230599.57**	**62.31**	**226279.34**	**63.54**
परमाणु	6780.00	1.71	6780.00	1.77	6780.00	1.83	6780.00	1.90
आरईएस								
जलविद्युत	46524.52	11.76	46209.22	12.09	45699.22	12.35	45399.22	12.75
आरईएस (एमएनआरई)								
लघु जल विद्युत	4839.90	1.22	4786.81	1.25	4683.16	1.27	4593.15	1.29
पवन विद्युत	40129.78	10.14	39247.05	10.27	37693.75	10.18	35625.97	10.00
-बीएम विद्युत/सह-उत्पादन	10175.61	2.57	10145.92	2.65	9875.31	2.67	9103.50	2.56
-वेस्ट टू एनर्जी	451.57	0.11	168.64	0.04	147.64	0.04	138.30	0.04
सौर विद्युत	50777.77	12.84	40085.37	10.49	34627.82	9.36	28180.71	7.91
आरईएस (एमएनआरई) कुल	**106374.63**	**26.89**	**94433.79**	**24.71**	**87027.68**	**23.51**	**77641.63**	**21.80**
आरईएस कुल	**152899.15**	**38.65**	**140643.01**	**36.80**	**132726.90**	**35.86**	**123040.85**	**34.55**
अखिल भारत कुल	**395607.86**	**100.00**	**382151.22**	**100.00**	**370106.46**	**100.00**	**356100.19**	**100.00**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (जनवरी, 2022 तक) के दौरान आरई उत्पादन के स्रोत-वार ब्यौरे

वर्ष	पवन	सौर	बायोमास	पराली	लघु जलविद्युत	अन्य	कुल नवीकरणीय ऊर्जा	वृहत् जलविद्युत*	वृहत् जल विद्युत सहित कुल आरई
2018-19	62036.38	39268.19	2763.82	13562.67	8702.75	425.28	126759.09	134893.61	261652.70
2019-20	64646.38	50131.09	2937.97	10804.46	9451.24	365.88	138337.02	155769.12	294106.14
2020-21	60149.95	60402.26	3512.98	11302.85	10258.41	1621.06	147247.51	150299.52	297547.03
2021-22 (जनवरी, 22 तक)	61525.49	57869.53	2867.92	8542.98	1875.76	9256.86	141938.54	133610.06	275548.60

* भूटान से आयात को छोड़कर वृहत् जलविद्युत उत्पादन

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4703 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;

(ii) 30 जून, 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट देना;

(iii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई उपकेन्द्र क्षमता का सृजन करना;

(iv) वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा;

(v) आरई विकासकर्ताओं को प्लग एंड प्ले आधार पर भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए आरई पार्कों की स्थापना करना;

(vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप चरण-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम चरण-II आदि जैसी स्कीमें;

(vii) सौर फोटो वोल्टायिक प्रणाली/उपकरणों की तैनाती के लिए मानक अधिसूचित करना;

(viii) निवेश आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना;

(ix) ग्रिड संबद्ध सौर पीवी तथा पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु मानक बोली दिशानिर्देश; और

(x) सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वितरण लाइसेंसियों द्वारा आरई उत्पादकों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साख पत्र (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के विरुद्ध विद्युत डिस्पैच की जाएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4709

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम की विद्युत खरीद लागत

4709. श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा केंद्र सरकार-अधिकृत संस्था पावर फाइनेंस कारपोरेशन से की गई बिजली खरीद की औसत लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) संपूर्ण देश में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत विद्युत निगमों द्वारा निर्धारित औसत बिक्री मूल्य का निगम-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड एक सीपीएसई वित्तीय संस्था (एफआई) है, जो विद्युत की बिक्री और खरीद नहीं करती है। तथापि, पीएफसी द्वारा प्रकाशित वार्षिक यूटिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, वितरण यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत का औसत मूल्य **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा औसत विद्युत आपूर्ति का मूल्य **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4709 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वितरण यूटिलिटियों द्वारा खरीदी गई विद्युत का औसत मूल्य

रुपये/केडब्ल्यूएच

	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**4.19**	**4.64**	**4.71**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**15.15**	**16.81**	**16.85**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	15.15	16.81	16.85
आंध्र प्रदेश	**4.36**	**6.23**	**4.61**
एपीईपीडीसीएल	4.47	6.44	4.52
एपीएसपीडीसीएल	4.31	6.12	4.65
अरुणाचल प्रदेश	**3.05**	**3.52**	**4.24**
अरुणाचल पीडी	3.05	3.52	4.24
असम	**4.80**	**5.22**	**5.03**
एपीडीसीएल	4.80	5.22	5.03
बिहार	**4.39**	**4.72**	**5.04**
एनबीपीडीसीएल	4.39	4.72	5.04
एसबीपीडीसीएल	4.38	4.72	5.04
चंडीगढ़	**3.37**	**3.70**	**3.21**
चंडीगढ़ पीडी	3.37	3.70	3.21
छत्तीसगढ़	**3.91**	**4.00**	**4.19**
सीएसपीडीसीएल	3.91	4.00	4.19
दादरा एवं नगर हवेली	**3.83**	**4.51**	**4.98**
डीएनएचपीडीसीएल	3.83	4.51	4.98
दमन और दीव	**3.42**	**3.85**	**4.36**
दमन और दीव पीडी	3.42	3.85	4.36
गोवा	**2.87**	**3.40**	**3.61**
गोवा पीडी	2.87	3.40	3.61
गुजरात	**4.15**	**4.46**	**4.85**
डीजीवीसीएल	5.30	5.65	6.12
एमजीवीसीएल	4.18	4.54	4.77
पीजीवीसीएल	3.70	4.02	4.34
यूजीवीसीएल	3.84	4.11	4.56
हरियाणा	**4.49**	**4.80**	**4.79**
डीएचबीवीएनएल	4.48	4.75	4.77
यूएचबीवीएनएल	4.50	4.87	4.82
हिमाचल प्रदेश	**2.88**	**3.25**	**2.96**
एचपीएसईबीएल	2.88	3.25	2.96
जम्मू एवं कश्मीर	**3.52**	**3.71**	**3.56**
जेकेपीडीडी	3.52	3.71	3.56
झारखंड	**4.61**	**4.37**	**4.88**
जेबीवीएनएल	4.61	4.37	4.88
कर्नाटक	**4.72**	**4.94**	**5.13**
बेसकॉम	4.84	5.68	5.97
चेसकॉम	4.28	4.01	3.90
गेस्कम	4.41	4.24	4.94
हेस्कॉम	4.98	4.68	4.21
मेस्कॉम	4.43	3.72	4.57
केरल	**3.02**	**2.99**	**3.23**
केएसईबीएल	3.02	2.99	3.23
लक्षद्वीप	**15.58**	**16.64**	**15.29**
लक्षद्वीप ईडी	15.58	16.64	15.29
मध्य प्रदेश	**4.20**	**4.21**	**4.42**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	4.20	4.21	4.27
एमपीपीएकेवीवीसीएल	4.25	4.29	4.48
एमपीपीओकेवीवीसीएल	4.13	4.13	4.50
महाराष्ट्र	**4.17**	**4.66**	**5.22**
एमएसईडीसीएल	4.17	4.66	5.22

मणिपुर	**4.43**	**4.67**	**5.38**
एमएसपीडीसीएल	4.43	4.67	5.38
मेघालय	**3.74**	**3.94**	**4.63**
एमईपीडीसीएल	3.74	3.94	4.63
मिजोरम	**3.56**	**4.97**	**4.80**
मिजोरम पीडी	3.56	4.97	4.80
नागालैंड	**3.90**	**4.09**	**4.67**
नागालैंड पीडी	3.90	4.09	4.67
ओडिशा	**3.03**	**3.37**	**3.24**
सीईएसयू	2.96	3.04	2.88
नेस्को यूटीलिटी	3.35	3.36	3.77
साउथको यूटीलिटी	2.25	2.23	2.83
वेस्को यूटीलिटी	3.25	4.29	3.42
पुद्दुचेरी	**3.84**	**4.18**	**4.78**
पुद्दुचेरी पीडी	3.84	4.18	4.78
पंजाब	**3.73**	**4.20**	**4.33**
पीएसपीसीएल	3.73	4.20	4.33
राजस्थान	**4.38**	**4.59**	**4.81**
एवीवीएनएल	4.43	4.80	4.84
जेडीवीवीएनएल	4.36	4.48	4.78
जेवीवीएनएल	4.35	4.54	4.83
सिक्किम	**2.09**	**2.39**	**2.71**
सिक्किम पीडी	2.09	2.39	2.71
तमिलनाडु	**4.28**	**4.52**	**4.46**
टैंजेडको	4.28	4.52	4.46
तेलंगाना	**4.79**	**5.28**	**5.25**
टीएसएनपीडीसीएल	4.83	5.16	5.04
टीएसएसपीडीसीएल	4.77	5.34	5.36
त्रिपुरा	**3.26**	**3.46**	**4.04**
टीएसईसीएल	3.26	3.46	4.04
उत्तर प्रदेश	**4.32**	**5.31**	**5.19**
डीवीवीएनएल	4.47	5.26	4.56
केस्को	5.57	7.12	6.49
एमवीवीएनएल	4.37	5.69	5.43
पीएवीवीएनएल	4.41	5.20	5.39
पीयूवीवीएनएल	3.87	4.97	5.15
उत्तराखंड	**3.78**	**4.08**	**4.41**
यूपीसीएल	3.78	4.08	4.41
पश्चिम बंगाल	**4.01**	**4.38**	**4.58**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	4.01	4.38	4.58
निजी क्षेत्र	**4.57**	**4.78**	**4.95**
दिल्ली	**4.67**	**4.88**	**5.56**
बीआरपीएल	4.96	5.20	5.72
बीवाईपीएल	4.37	4.36	4.74
टीपीडीडीएल	4.51	4.88	5.98
गुजरात	**5.10**	**5.87**	**5.50**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	5.08	5.88	5.51
टोरेंट पावर सूरत	5.14	5.84	5.47
महाराष्ट्र		**4.00**	**3.59**
एईएमएल		4.00	3.59
उत्तर प्रदेश	**4.36**	**5.35**	**5.33**
एनपीसीएल	4.36	5.35	5.33
पश्चिम बंगाल	**3.83**	**4.04**	**4.01**
सीईएससी	3.80	4.01	4.01
आईपीसीएल	4.29	4.53	3.99
कुल योग	**4.21**	**4.64**	**4.73**
नोट: उपरोक्त आंकड़ों में उत्पादन क्षमता वाली वितरण यूटिलिटियों के मामले में उत्पादन की लागत शामिल है।			

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4709 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों द्वारा औसत विद्युत आपूर्ति का मूल्य

(रुपये/यूनिट में)

क्रम सं.	**सीपीएसई**	**वर्ष 2021-22 में विद्युत आपूर्ति की औसत भारित निश्चित लागत**	**वर्ष 2021-22 में ऊर्जा आपूर्ति की औसत भारित परिवर्तनीय लागत**
1.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड **(एसजेवीएन)**	2.768	एनए*
2.	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(टीएचडीसी)**	2.05	2.13
3.	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन **(डीवीसी)**	1.41	2.908
4.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(नीपको)**	1.415	1.543
5.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन **(एनटीपीसी)**	1.74	2.25
6.	नेशलन हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन **(एनएचपीसी)**	3.42 (जल उपयोग शुल्क सहित) 3.06 (जल उपयोग शुल्क को छोड़कर)	एनए*

*एनए - लागू नहीं

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4730

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

4730. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी निधि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्रीय सरकार से प्राक्कलित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता को परस्पर सहमत कार्रवाई योजनाओं के अनुसार शुरू किए गए सुधार उपायों और उनसे प्राप्त परिणामों से जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस); विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% की अतिरिक्त उधारी; यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने सहित सुधार उपायों से संबद्ध डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करने के लिए अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4748

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन

4748. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से झांसी और ललितपुर जिलों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश में उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित, स्वीकृत और खर्च की गई; और

(ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर में कितने जिलों/गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़न और संवर्धन करने, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के गांवों का विद्युतीकरण करने सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, झांसी और ललितपुर जिलों सहित राज्य में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। झांसी और ललितपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में डीडीयूजीजेवाई के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता। पिछली किस्तों में जारी की गई धनराशि के सूचित उपयोग और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां किस्तों में जारी की जाती हैं।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत (अतिरिक्त इंफ्रा सहित) 29,266 करोड़ रुपये (22,238.1 करोड़ रुपये के जीबीएस अनुदान सहित) की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। दिनांक 28.02.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य को 18,983 करोड़ रुपये की अनुदान राशि संवितरित की गई है और इस राशि का पूर्णतः उपयोग किया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4748 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

'डीडीयूजीजेवाई' श्रेणी के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना के ब्यौरे (दिनांक 28.02.022 तक) निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	मदें	यूनिटें	डीडीयूजीजेवाई	डीडीयूजीजेवाई अतिरिक्त इंफ्रा	कुल (डीडीयूजीजेवाई/ अतिरिक्त इंफ्रा)
1	सब-स्टेशन (संवर्धन सहित)	सं.	1076	219	1295
2	वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	41933	106455	148388
3	फीडर पृथक्करण	सीकेएम	33925.02	0	33925.02
4	11 केवी लाइनें	सीकेएम	12524.65	20220.93	32745.58
5	एलटी लाइनें	सीकेएम	12600.7	71525.01	84125.7
6	33 केवी और 66 केवी लाइनें	सीकेएम	9176.98	-	9176.98
7	उपभोक्ता ऊर्जा मीटर	सं.	2056681	-	2056681
8	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर	सं.	80892	-	80892
9	11 केवी फीडर मीटर	सं.	1985	-	1985

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4756

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष वित्तीय समस्याएं

4756. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्तमान में बिजली वितरण कंपनियों के समक्ष लंबे समय से आ रही वित्तीय कठिनाइयों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन कारणों की पहचान करने में सफल रही है जिनके कारण बिजली वितरण कंपनियों को राजस्व हानि सहित 'अन्य' प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो कंपनी-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए सरकार के उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) कार्यक्रम से बिजली वितरण कंपनियों को इस दबाव से बाहर निकलने में मदद मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने स्वयं को ऐसी परिस्थितियों से बचाया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में सभी डिस्कॉमों की वार्षिक हानियों के ब्यौरे (राज्य-वार) **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

डिस्कॉमों के सामने आ रही दीर्घावधिक वित्तीय समस्या के मुख्य कारणों में उच्च एटीएंडसी हानि, लागतों को प्रतिबिंबित नहीं करने वाले टैरिफ, बकाया सब्सिडियों के विलंबित और अपर्याप्त भुगतान, के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा सरकारी विभागों की देय राशियां और, अपर्याप्त गवर्नेंस व्यवस्थाएं व्यवहार शामिल हैं।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक कायापलट में सुधार करने के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आरंभ की थी। उदय का उद्देश्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करते हुए ब्याज के बोझ, विद्युत की लागत को कम करना, एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर में सुधार करना था। उदय के अंतर्गत डिस्कॉमों की सहभागिता और अन्य दक्षता उपायों के फलस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटीलिटियों ने सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 16 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 20 में 20.93% की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर वित्तीय वर्ष 16 में 0.48 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच से वित्तीय वर्ष 20 में 0.30 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच तक की कमी शामिल है। एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतरों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 में 66 डिस्कॉमों में से 26 डिस्कॉमों का एसीएस-एआरआर अंतर ऋणात्मक रहा है जो अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय निष्पादन दर्शाता है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय हानियां वर्षवार [लाभ/(हानि)] - प्राप्त सब्सिडी आधारित

राज्य/डिस्कॉम	(2017-18)	(2018-19)	(2019-20)
राज्य क्षेत्र	**(34,387)**	**(63,329)**	**(40,715)**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**(605)**	**(645)**	**(678)**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	(605)	(645)	(678)
आंध्र प्रदेश	**(546)**	**(16,736)**	**1,262**
एपीईपीडीसीएल	(258)	(5,142)	266
एपीएसपीडीसीएल	(287)	(11,594)	996
अरुणाचल प्रदेश	**(429)**	**(428)**	**(413)**
अरुणाचल पीडी	(429)	(428)	(413)
असम	**302**	**311**	**390**
एपीडीसीएल	302	311	390
बिहार	**(1,872)**	**(1,845)**	**(2,944)**
एनबीपीडीसीएल	(362)	(631)	(804)
एसबीपीडीसीएल	(1,510)	(1,213)	(2,139)
चंडीगढ़	**321**	**54**	**179**
चंडीगढ़ पीडी	321	54	179
छत्तीसगढ़	**(726)**	**(1,528)**	**(571)**
सीएसपीडीसीएल	(726)	(1,528)	(571)
दादरा एवं नगर हवेली	**(12)**	**14**	**11**
डीएनएचपीडीसीएल	(12)	14	11
दमन और दीव	**324**	**164**	**79**
दमन और दीव पीडी	324	164	79
गोवा	**26**	**(172)**	**(271)**
गोवा पीडी	26	(172)	(271)
गुजरात	**426**	**184**	**538**
डीजीवीसीएल	94	39	130
एमजीवीसीएल	93	33	65
पीजीवीसीएल	137	75	227
यूजीवीसीएल	101	37	117
हरियाणा	**412**	**281**	**331**
डीएचबीवीएनएल	134	95	114
यूएचबीवीएनएल	278	186	218
हिमाचल प्रदेश	**(44)**	**132**	**28**
एचपीएसईबीएल	(44)	132	28
जम्मू एवं कश्मीर	**(2,999)**	**(2,902)**	**(3,460)**
जेकेपीडीडी	(2,999)	(2,902)	(3,460)
झारखंड	**(212)**	**(751)**	**(1,111)**
जेबीवीएनएल	(212)	(751)	(1,111)
कर्नाटक	**(2,003)**	**(1,825)**	**(2,594)**
बेसकॉम	(313)	(453)	(267)
चेसकॉम	(247)	(447)	(708)
गेस्कम	(532)	(113)	(957)
हेस्कॉम	(689)	(603)	(610)
मेस्कॉम	(222)	(209)	(52)
केरल	**(784)**	**(135)**	**(270)**
केएसईबीएल	(784)	(135)	(270)
लक्षद्वीप	**(98)**	**(109)**	**(103)**
लक्षद्वीप ईडी	(98)	(109)	(103)
मध्य प्रदेश	**(5,191)**	**(9,390)**	**(5,028)**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(2,703)	(4,503)	(2,048)

एमपीपीएकेवीवीसीएल	(300)	(1,346)	(227)
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(2,189)	(3,541)	(2,753)
महाराष्ट्र	**1,620**	**2,413**	**2,321**
एमएसईडीसीएल	1,620	2,413	2,321
मणिपुर	**(8)**	**(44)**	**(9)**
एमएसपीडीसीएल	(8)	(44)	(9)
मेघालय	**(287)**	**(203)**	**(428)**
एमईपीडीसीएल	(287)	(203)	(428)
मिजोरम	**87**	**(83)**	**175**
मिजोरम पीडी	87	(83)	175
नागालैंड	**(62)**	**(325)**	**(488)**
नागालैंड पीडी	(62)	(325)	(488)
ओडिशा	**(792)**	**(1,539)**	**(842)**
सीईएसयू	(503)	(429)	(336)
नेस्को यूटीलिटी	(81)	(2)	(141)
साउथको यूटीलिटी	(187)	(211)	(336)
वेस्को यूटीलिटी	(22)	(897)	(29)
पुददुचेरी	**5**	**(39)**	**(306)**
पुददुचेरी पीडी	5	(39)	(306)
पंजाब	**(2,618)**	**363**	**(975)**
पीएसपीसीएल	(2,618)	363	(975)
राजस्थान	**686**	**(524)**	**(2,551)**
एवीवीएनएल	866	(187)	(392)
जेडीवीवीएनएल	(541)	(373)	(2,772)
जेवीवीएनएल	361	37	613
सिक्किम	**(29)**	**(3)**	**(62)**
सिक्किम पीडी	(29)	(3)	(62)
तमिलनाडु	**(7,761)**	**(12,623)**	**(11,965)**
टैंजेडको	(7,761)	(12,623)	(11,965)
तेलंगाना	**(6,387)**	**(9,020)**	**(6,966)**
टीएसएनपीडीसीएल	(2,333)	(3,805)	(1,801)
टीएसएसपीडीसीएल	(4,054)	(5,215)	(5,165)
त्रिपुरा	**28**	**19**	**(137)**
टीएसईसीएल	28	19	(137)
उत्तर प्रदेश	**(5,002)**	**(5,902)**	**(3,792)**
डीवीवीएनएल	(2,258)	(2,378)	(629)
केस्को	64	(448)	(231)
एमवीवीएनएल	(458)	(806)	(660)
पीएवीवीएनएल	(1,517)	(1,290)	(1,068)
पीयूवीवीएनएल	(833)	(979)	(1,204)
उत्तराखंड	**(229)**	**(553)**	**(577)**
यूपीसीएल	(229)	(553)	(577)
पश्चिम बंगाल	**72**	**60**	**511**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	72	60	511
निजी क्षेत्र	**2,064**	**2,250**	**2,622**
दिल्ली	**507**	**786**	**885**
बीआरपीएल	142	316	269
बीवाईपीएल	59	135	202
टीपीडीडीएल	306	336	414
गुजरात	**574**	**307**	**612**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	388	233	482
टोरेंट पावर सूरत	185	74	130
महाराष्ट्र		**61**	**50**
एईएमएल		61	50
उत्तर प्रदेश	**100**	**140**	**140**
एनपीसीएल	100	140	140
पश्चिम बंगाल	**883**	**956**	**934**
सीईएससी	862	937	918
आईपीसीएल	21	19	17
कुल जोड़	**(32,324)**	**(61,079)**	**(38,093)**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**24.04**	**24.05**	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			**19.34**	**23.39**	**22.71**
अंडमान एवं निकोबार पीडी			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	**10.36**	**13.77**	**14.26**	**25.67**	**10.77**
एपीईपीडीसीएल	7.10	7.48	11.18	18.47	6.64
एपीएसपीडीसीएल	12.03	17.02	16.04	29.66	13.17
अरुणाचल प्रदेश	**54.58**	**53.64**	**58.36**	**55.50**	**45.71**
अरुणाचल पीडी	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	**26.02**	**20.11**	**17.64**	**20.14**	**23.37**
एपीडीसीएल	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	**43.30**	**43.34**	**33.51**	**33.30**	**40.38**
एनबीपीडीसीएल	35.73	37.85	30.46	26.97	29.50
एसबीपीडीसीएल	47.87	46.81	35.53	37.81	48.64
चंडीगढ़ (गैर उदय संघ राज्यक्षेत्र)			**4.00**	**4.21**	**4.60**
चंडीगढ़ पीडी			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	**22.10**	**23.87**	**22.50**	**29.81**	**23.68**
सीएसपीडीसीएल	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा एवं नगर हवेली			**6.55**	**5.45**	**3.56**
डीएनएचपीडीसीएल			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			**17.01**	**6.19**	**4.07**
दमन और दीव पीडी			17.01	6.19	4.07
गोवा	**19.77**	**24.33**	**13.52**	**15.69**	**13.99**
गोवा पीडी	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	**16.23**	**14.42**	**12.96**	**13.99**	**11.95**
डीजीवीसीएल	10.48	10.20	6.60	5.90	6.22
एमजीवीसीएल	11.81	11.24	11.73	9.81	11.31
पीजीवीसीएल	24.71	21.71	19.64	21.21	19.22
यूजीवीसीएल	11.53	9.17	9.32	12.01	6.88
हरियाणा	**29.27**	**26.42**	**21.78**	**18.08**	**18.19**
डीएचबीवीएनएल	26.44	23.10	19.16	15.34	16.37
यूएचबीवीएनएल	32.84	30.68	25.38	22.04	20.68
हिमाचल प्रदेश	**9.68**	**11.48**	**11.08**	**12.46**	**11.68**
एचपीएसईबीएल	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	**58.75**	**59.96**	**53.67**	**49.94**	**60.46**
जेकेपीडीडी	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	**33.34**	**35.95**	**32.48**	**28.60**	**36.96**
जेबीवीएनएल	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	**17.13**	**16.84**	**15.61**	**19.83**	**17.59**
बेसकॉम	13.88	14.91	13.17	15.79	17.91
चेसकॉम	13.60	19.31	13.20	20.03	21.72
गेस्कम	18.00	17.86	16.39	27.38	17.87
हेस्कॉम	27.63	18.35	22.84	24.88	15.31
मेस्कॉम	12.71	19.47	14.23	18.12	15.33
केरल	**12.40**	**13.42**	**12.81**	**9.10**	**14.47**
केएसईबीएल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			**19.15**	**23.33**	**14.28**
लक्षद्वीप ईडी			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	**27.37**	**26.80**	**30.51**	**36.64**	**30.38**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	31.09	34.29	39.00	45.05	37.17
एमपीपीएकेवीवीसीएल	25.06	19.08	18.69	25.28	20.93
एमपीपीओकेवीवीसीएल	26.10	28.00	34.84	40.38	33.89
महाराष्ट्र	**21.74**	**22.84**	**14.38**	**16.23**	**19.92**

एमएसईडीसीएल	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	**31.72**	**33.01**	**27.50**	**38.17**	**20.27**
एमएसपीडीसीएल	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	**45.98**	**38.81**	**41.19**	**35.22**	**34.32**
एमईपीडीसीएल	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	**35.18**	**24.98**	**22.44**	**16.20**	**20.66**
मिजोरम पीडी	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	**33.44**	**38.50**	**41.36**	**40.06**	**52.93**
नागालैंड पीडी	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	**38.60**	**37.19**	**33.59**	**31.55**	**28.94**
सीईएसयू	36.51	36.73	35.49	32.49	29.03
नेस्को यूटीलिटी	36.32	28.13	24.41	24.61	24.45
साउथको यूटीलिटी	44.57	43.49	40.66	41.33	36.05
वेस्को यूटीलिटी	40.07	41.70	34.90	30.88	28.81
पुद्दुचेरी	**22.43**	**21.34**	**19.19**	**19.77**	**18.45**
पुद्दुचेरी पीडी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	**15.88**	**14.46**	**17.31**	**11.28**	**14.35**
पीएसपीसीएल	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	**31.59**	**27.33**	**24.07**	**28.25**	**29.85**
एवीवीएनएल	27.66	25.19	23.14	23.37	22.08
जेडीवीवीएनएल	29.67	26.17	23.49	35.20	38.26
जेवीवीएनएल	35.87	29.79	25.19	25.73	27.83
सिक्किम	**43.89**	**35.62**	**32.48**	**41.83**	**28.88**
सिक्किम पीडी	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	**16.83**	**18.23**	**19.47**	**17.86**	**15.00**
टैंजेडको	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	**14.01**	**15.19**	**19.08**	**17.80**	**21.54**
टीएसएनपीडीसीएल	17.41	16.19	23.67	26.66	34.08
टीएसएसपीडीसीएल	12.64	14.77	17.16	13.79	15.57
त्रिपुरा	**32.68**	**31.79**	**30.31**	**35.49**	**37.85**
टीएसईसीएल	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	**39.76**	**40.91**	**37.80**	**33.19**	**30.05**
डीवीवीएनएल	43.13	40.62	38.89	37.12	39.74
केस्को	28.16	25.10	22.52	16.49	15.49
एमवीवीएनएल	44.58	47.27	45.29	40.62	34.14
पीएवीवीएनएल	27.12	29.73	25.97	22.27	18.64
पीयूवीवीएनएल	51.14	53.19	47.89	39.64	34.24
उत्तराखंड	**18.01**	**16.68**	**16.34**	**16.96**	**20.35**
यूपीसीएल	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)	**28.08**	**27.83**	**26.69**	**23.00**	**20.40**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	**12.44**	**10.80**	**9.36**	**8.28**	**8.00**
दिल्ली	**12.44**	**10.80**	**9.93**	**9.17**	**8.19**
बीआरपीएल	12.60	11.13	10.53	9.11	8.15
बीवाईपीएल	16.76	12.99	10.83	10.60	8.57
टीपीडीडीएल	8.83	8.64	8.39	8.17	7.98
गुजरात			**6.53**	**5.20**	**4.59**
टोरेंट पावर अहमदाबाद			7.44	5.81	5.07
टोरेंट पावर सूरत			4.43	3.71	3.43
महाराष्ट्र				**8.20**	**9.52**
एईएमएल				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश			**9.08**	**9.36**	**9.76**
एनपीसीएल			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल			**10.74**	**8.95**	**9.06**
सीईएससी			11.25	9.42	9.30
आईपीसीएल			3.20	2.68	6.06
कुल जोड़	**23.70**	**23.66**	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

टैरिफ सब्सिडी प्राप्ति आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रू./केडब्ल्यूएच)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**0.50**	**0.39**	**0.32**	**0.54**	**0.35**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			**19.86**	**19.47**	**19.58**
अंडमान एवं निकोबार पीडी			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	**0.80**	**0.52**	**0.09**	**2.67**	**(0.19)**
एपीईपीडीसीएल	0.32	0.21	0.13	2.44	(0.12)
एपीएसपीडीसीएल	1.03	0.67	0.07	2.79	(0.22)
अरुणाचल प्रदेश	**0.49**	**3.65**	**4.64**	**4.27**	**4.92**
अरुणाचल पीडी	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	**0.23**	**0.06**	**(0.32)**	**(0.32)**	**(0.36)**
एपीडीसीएल	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	**0.46**	**0.51**	**0.68**	**0.61**	**0.92**
एनबीपीडीसीएल	0.35	0.28	0.31	0.47	0.57
एसबीपीडीसीएल	0.54	0.67	0.97	0.73	1.21
चंडीगढ़ (गैर उदय संघ राज्यक्षेत्र)			**(1.64)**	**(0.26)**	**(0.82)**
चंडीगढ़ पीडी			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	**(0.01)**	**0.21**	**0.23**	**0.45**	**0.17**
सीएसपीडीसीएल	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा एवं नगर हवेली			**0.01**	**(0.02)**	**(0.03)**
डीएनएचपीडीसीएल			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			**(1.38)**	**(0.61)**	**(0.30)**
दमन और दीव पीडी			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	**0.71**	**0.70**	**(0.06)**	**0.39**	**0.60**
गोवा पीडी	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	**(0.02)**	**(0.05)**	**(0.06)**	**(0.02)**	**(0.06)**
डीजीवीसीएल	(0.04)	(0.06)	(0.06)	(0.02)	(0.07)
एमजीवीसीएल	0.01	(0.10)	(0.09)	(0.05)	(0.11)
पीजीवीसीएल	(0.01)	(0.04)	(0.05)	(0.02)	(0.05)
यूजीवीसीएल	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.02)	(0.05)
हरियाणा	**0.16**	**0.04**	**(0.08)**	**(0.05)**	**(0.06)**
डीएचबीवीएनएल	0.17	(0.00)	(0.04)	(0.03)	(0.04)
यूएचबीवीएनएल	0.15	0.09	(0.12)	(0.08)	(0.09)
हिमाचल प्रदेश	**(0.31)**	**0.18**	**0.03**	**(0.09)**	**(0.02)**
एचपीएसईबीएल	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू एवं कश्मीर	**3.00**	**2.65**	**1.85**	**1.72**	**2.03**
जेकेपीडीडी	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	**0.93**	**1.39**	**0.16**	**0.58**	**0.87**
जेबीवीएनएल	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	**0.01**	**0.29**	**0.30**	**0.24**	**0.39**
बेसकॉम	(0.01)	0.04	0.07	0.07	0.08
चेसकॉम	(0.82)	0.27	0.36	0.72	0.89
गेस्कम	(0.35)	0.26	0.66	0.12	1.18
हेस्कॉम	0.88	0.91	0.54	0.42	0.46
मेस्कॉम	(0.31)	0.35	0.39	0.35	0.09
केरल	**0.30**	**0.62**	**0.32**	**0.05**	**0.10**
केएसईबीएल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			**19.11**	**20.30**	**18.22**
लक्षद्वीप ईडी			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	**0.87**	**0.18**	**0.78**	**1.29**	**0.69**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	1.20	0.58	1.21	1.80	0.81
एमपीपीएकेवीवीसीएल	0.50	(0.37)	0.13	0.52	0.09

एमपीपीओकेवीवीसीएल	0.95	0.42	1.08	1.60	1.27
महाराष्ट्र	**0.21**	**0.06**	**(0.13)**	**(0.19)**	**(0.19)**
एमएसईडीसीएल	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	**0.02**	**0.06**	**(0.02)**	**0.34**	**0.08**
एमएसपीडीसीएल	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	**0.82**	**1.66**	**1.16**	**0.85**	**1.80**
एमईपीडीसीएल	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	**2.06**	**2.12**	**(1.30)**	**1.18**	**(1.94)**
मिजोरम पीडी	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	**0.20**	**0.81**	**0.81**	**4.09**	**5.62**
नागालैंड पीडी	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
ओडिशा (गैर उदय राज्य)	**0.39**	**0.38**	**0.32**	**0.60**	**0.34**
सीईएसयू	0.61	0.52	0.59	0.49	0.41
नेस्को यूटीलिटी	0.34	0.09	0.15	0.00	0.26
साउथको यूटीलिटी	0.31	0.70	0.54	0.58	0.97
वेस्को यूटीलिटी	0.22	0.30	0.03	1.18	0.04
पुद्दुचेरी	**(0.02)**	**0.03**	**(0.02)**	**0.13**	**0.97**
पुद्दुचेरी पीडी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	**0.53**	**0.65**	**0.48**	**(0.07)**	**0.17**
पीएसपीसीएल	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	**1.83**	**0.50**	**(0.09)**	**0.06**	**0.31**
एवीवीएनएल	1.96	0.37	(0.42)	0.08	0.18
जेडीवीवीएनएल	1.80	0.75	0.22	0.13	0.99
जेवीवीएनएल	1.77	0.37	(0.12)	(0.01)	(0.19)
सिक्किम	**2.09**	**1.20**	**0.25**	**0.02**	**0.54**
सिक्किम पीडी	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	**0.67**	**0.50**	**0.89**	**1.32**	**1.27**
टैंजेडको	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	**0.74**	**1.23**	**1.12**	**1.38**	**1.09**
टीएसएनपीडीसीएल	0.88	0.95	1.25	1.80	0.80
टीएसएसपीडीसीएल	0.68	1.35	1.06	1.19	1.22
त्रिपुरा	**0.42**	**(0.15)**	**(0.09)**	**(0.06)**	**0.43**
टीएसईसीएल	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	**0.29**	**0.33**	**0.45**	**0.54**	**0.34**
डीवीवीएनएल	0.73	0.71	0.90	0.99	0.25
केस्को	(0.07)	(0.86)	(0.17)	1.29	0.65
एमवीवीएनएल	0.19	0.38	0.21	0.38	0.29
पीएवीवीएनएल	0.21	0.15	0.44	0.39	0.31
पीयूवीवीएनएल	0.08	0.37	0.31	0.37	0.45
उत्तराखंड	**0.10**	**0.24**	**0.18**	**0.38**	**0.38**
यूपीसीएल	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल	**(0.04)**	**0.04**	**(0.02)**	**(0.01)**	**(0.12)**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	**(0.10)**	**(0.16)**	**(0.44)**	**(0.38)**	**(0.48)**
दिल्ली	**(0.10)**	**(0.16)**	**(0.19)**	**(0.26)**	**(0.37)**
बीआरपीएल	(0.06)	(0.08)	(0.12)	(0.21)	(0.22)
बीवाईपीएल	0.01	(0.11)	(0.09)	(0.10)	(0.30)
टीपीडीडीएल	(0.23)	(0.29)	(0.35)	(0.42)	(0.61)
गुजरात			**(0.50)**	**(0.26)**	**(0.52)**
टोरेंट पावर अहमदाबाद			(0.49)	(0.28)	(0.58)
टोरेंट पावर सूरत			(0.54)	(0.22)	(0.38)
महाराष्ट्र				**(0.15)**	**(0.22)**
एईएमएल				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश			**(1.34)**	**(0.97)**	**(0.69)**
एनपीसीएल			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल (गैर उदय राज्य)			**(0.93)**	**(0.99)**	**(0.94)**
सीईएससी			(0.96)	(1.04)	(0.99)
आईपीसीएल			(0.48)	(0.34)	(0.32)
कुल जोड़	**0.48**	**0.37**	**0.28**	**0.49**	**0.30**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4764

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

रूस के साथ चल रही परियोजनाओं पर प्रतिबंध

4764. श्री दयानिधि मारन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत मंत्रालय के तहत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां रूस और यूक्रेन की सरकारें परियोजना-वार शामिल हैं;

(ख) रूस के साथ चल रही परियोजनाओं पर विभिन्न प्रतिबंधों के संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस के साथ कुल बजटीय आवंटन, किए गए व्यय और विभिन्न विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित तिथियों का राज्य और मद-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जहां तक विद्युत मंत्रालय का संबंध है, एनटीपीसी की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना, चरण-I (3X660 मेगावाट), जो अभी निर्माणाधीन है, से रूस की कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इस परियोजना पर विभिन्न प्रतिबंधों के अनुसार परियोजना लागत, किया गया व्यय और कमीशनिंग की प्रत्याशित तारीख सहित प्रभावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

प्रतिबंधों के प्रभाव का ब्यौरा:

- स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से रूस के बैंकों के बहिष्कार के कारण भुगतानों और बैंक गारंटियों के नवीनीकरण में कठिनाई।
- रूस की कंपनियों से बकाया उपकरणों/सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
- परियोजना की कमीशनिंग संबंधी गतिविधियों के लिए रूस अभियंताओं/तकनीकी सलाहकारों के दौरे प्रभावित हो सकते हैं।

अनुमोदित लागत	(फरवरी, 2022) तक किया गया व्यय	प्रत्याशित कमीशनिंग की तारीख
21,312 करोड़ रुपये	19,738 करोड़ रुपये	वर्ष 2023-24 की तिमाही-2

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4790

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान

4790. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के समक्ष आ रहे समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे के तौर-तरीकों का आकलन और पूर्वानुमान करने के लिए कोई राज्य-वार अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिस्कॉम्स अभी भी घाटे का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह नुकसान सरकार के पूर्वानुमान के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को उक्त नुकसान को कम करने के उपायों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति के गठन के संबंध में बिहार राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) प्रत्येक वर्ष विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन संचालित करता है और "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर रिपोर्ट" प्रकाशित करता है, जिसमें एटी एंड सी हानियों का मूल्यांकन भी शामिल होता है। वर्ष 2019-20 के लिए उनकी नवीनतम "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर रिपोर्ट" के अनुसार, देश की वार्षिक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां 20.93% थीं। बिहार सहित एटी एंड सी हानियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

बिहार के लिए एटी एंड सी हानियां 40.38% है जबकि एटी एंड सी हानियों के लिए राष्ट्रीय औसत 20.93% है। उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय कमियां हैं। ये हानियां मुख्य रूप से टैरिफ में लागत नहीं दर्शाने; अपर्याप्त बिलिंग और संग्रहण क्षमता; राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत देय राशियों का भुगतान न करने; राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा घोषित सब्सिडियों का भुगतान न करने/कम भुगतान करने के कारण हैं। ये सभी पहलू अभिशासन में कमियों से जुड़े हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत सहायता राज्यों और उनके डिस्कॉमों की एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर सशर्त होगी।

(च) एवं (छ): जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4790 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
राज्य क्षेत्र	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**19.34**	**23.39**	**22.71**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	**14.26**	**25.67**	**10.77**
एपीईपीडीसीएल	11.18	18.47	6.64
एपीएसपीडीसीएल	16.04	29.66	13.17
अरुणाचल प्रदेश	**58.36**	**55.50**	**45.71**
अरुणाचल पीडी	58.36	55.50	45.71
असम	**17.64**	**20.14**	**23.37**
एपीडीसीएल	17.64	20.14	23.37
बिहार	**33.51**	**33.30**	**40.38**
एनबीपीडीसीएल	30.46	26.97	29.50
एसबीपीडीसीएल	35.53	37.81	48.64
चंडीगढ़	**4.00**	**4.21**	**4.60**
चंडीगढ़ पीडी	4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	**22.50**	**29.81**	**23.68**
सीएसपीडीसीएल	22.50	29.81	23.68
दादरा एवं नगर हवेली	**6.55**	**5.45**	**3.56**
डीएनएचपीडीसीएल	6.55	5.45	3.56
दमन और दीव	**17.01**	**6.19**	**4.07**
दमन और दीव पीडी	17.01	6.19	4.07
गोवा	**13.52**	**15.69**	**13.99**
गोवा पीडी	13.52	15.69	13.99
गुजरात	**12.96**	**13.99**	**11.95**
डीजीवीसीएल	6.60	5.90	6.22
एमजीवीसीएल	11.73	9.81	11.31
पीजीवीसीएल	19.64	21.21	19.22
यूजीवीसीएल	9.32	12.01	6.88
हरियाणा	**21.78**	**18.08**	**18.19**
डीएचबीवीएनएल	19.16	15.34	16.37
यूएचबीवीएनएल	25.38	22.04	20.68
हिमाचल प्रदेश	**11.08**	**12.46**	**11.68**
एचपीएसईबीएल	11.08	12.46	11.68
जम्मू एवं कश्मीर	**53.67**	**49.94**	**60.46**
जेकेपीडीडी	53.67	49.94	60.46
झारखंड	**32.48**	**28.60**	**36.96**
जेबीवीएनएल	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	**15.61**	**19.83**	**17.59**
बेसकॉम	13.17	15.79	17.91
चेसकॉम	13.20	20.03	21.72
गेस्कम	16.39	27.38	17.87
हेस्कॉम	22.84	24.88	15.31
मेस्कॉम	14.23	18.12	15.33
केरल	**12.81**	**9.10**	**14.47**
केएसईबीएल	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप	**19.15**	**23.33**	**14.28**
लक्षद्वीप ईडी	19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	**30.51**	**36.64**	**30.38**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	39.00	45.05	37.17
एमपीपीएकेवीवीसीएल	18.69	25.28	20.93
एमपीपीओकेवीवीसीएल	34.84	40.38	33.89
महाराष्ट्र	**14.38**	**16.23**	**19.92**

एमएसईडीसीएल	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	**27.50**	**38.17**	**20.27**
एमएसपीडीसीएल	27.50	38.17	20.27
मेघालय	**41.19**	**35.22**	**34.32**
एमईपीडीसीएल	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	**22.44**	**16.20**	**20.66**
मिजोरम पीडी	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	**41.36**	**40.06**	**52.93**
नागालैंड पीडी	41.36	40.06	52.93
ओडिशा	**33.59**	**31.55**	**28.94**
सीईएसयू	35.49	32.49	29.03
नेस्को यूटीलिटी	24.41	24.61	24.45
साउथको यूटीलिटी	40.66	41.33	36.05
वेस्को यूटीलिटी	34.90	30.88	28.81
पुद्दुचेरी	**19.19**	**19.77**	**18.45**
पुद्दुचेरी पीडी	19.19	19.77	18.45
पंजाब	**17.31**	**11.28**	**14.35**
पीएसपीसीएल	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	**24.07**	**28.25**	**29.85**
एवीवीएनएल	23.14	23.37	22.08
जेडीवीवीएनएल	23.49	35.20	38.26
जेवीवीएनएल	25.19	25.73	27.83
सिक्किम	**32.48**	**41.83**	**28.88**
सिक्किम पीडी	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	**19.47**	**17.86**	**15.00**
टैंजेडको	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	**19.08**	**17.80**	**21.54**
टीएसएनपीडीसीएल	23.67	26.66	34.08
टीएसएसपीडीसीएल	17.16	13.79	15.57
त्रिपुरा	**30.31**	**35.49**	**37.85**
टीएसईसीएल	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	**37.80**	**33.19**	**30.05**
डीवीवीएनएल	38.89	37.12	39.74
केस्को	22.52	16.49	15.49
एमवीवीएनएल	45.29	40.62	34.14
पीएवीवीएनएल	25.97	22.27	18.64
पीयूवीवीएनएल	47.89	39.64	34.24
उत्तराखंड	**16.34**	**16.96**	**20.35**
यूपीसीएल	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल	**26.69**	**23.00**	**20.40**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	**9.36**	**8.28**	**8.00**
दिल्ली	**9.93**	**9.17**	**8.19**
बीआरपीएल	10.53	9.11	8.15
बीवाईपीएल	10.83	10.60	8.57
टीपीडीडीएल	8.39	8.17	7.98
गुजरात	**6.53**	**5.20**	**4.59**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	7.44	5.81	5.07
टोरेंट पावर सूरत	4.43	3.71	3.43
महाराष्ट्र		**8.20**	**9.52**
एईएमएल		8.20	9.52
उत्तर प्रदेश	**9.08**	**9.36**	**9.76**
एनपीसीएल	9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल	**10.74**	**8.95**	**9.06**
सीईएससी	11.25	9.42	9.30
आईपीसीएल	3.20	2.68	6.06
कुल जोड़	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4801

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

खराब हो चुके विद्युत ट्रांसफार्मर

4801. श्री सुदर्शन भगत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा कम वाट वाले ट्रांसफार्मरों से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के कारण उक्त अधिकांश ट्रांसफार्मर खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिलों से विद्युत योजनाओं के अनुचित क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंस प्राप्त गतिविधि है और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा निष्पादन मानकों (एसओपी) में यथा अधिसूचित निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने/बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना वितरण लाइसेंसधारी का कर्तव्य है। सभी एसईआरसी/जेईआरसी ने निष्पादन मानक जारी किए हैं जिनका सभी वितरण यूटीलिटियों द्वारा पालन किया जाना है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में किसी खराब वितरण ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए समय-सीमा भी शामिल है।

भारत सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 भी अधिसूचित किए हैं जिसमें वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता, निष्पादन मानक, प्रतिपूर्ति तंत्र, उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटरों का प्रावधान, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक ध्यान दिया गया है।

संबंधित वितरण यूटीलिटियों द्वारा आम तौर पर किसी वितरण ट्रांसफार्मर से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति ट्रांसफार्मर की क्षमता तथा किसी वितरण ट्रांसफार्मर से आपूर्ति की जा रही उपभोक्ताओं की कुल अनुबंधित मांग की गणना करने के बाद की जाती है ताकि ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग से बचा जा सके।

संबंधित वितरण यूटीलिटियों का यह उत्तरदायित्व है कि प्रणाली की ओवरलोडिंग से बचने और क्षेत्र के प्रत्याशित भार की पूर्ति के लिए विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित अपनी वितरण प्रणाली को नियमित रूप से उन्नत एवं संवर्धित करें ताकि उनके प्रचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति की जा सके। भारत सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों सहित राज्यों की उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना का सुधार और संवर्धन करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्कीमों को आरंभ करते हुए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना के नवीकरण एवं संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि प्रदान करने हेतु डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस तथा सौभाग्य स्कीमें आरंभ कीं। डीडीयूजीजेवाई/आईपीडीएस/सौभाग्य स्कीमों के अंतर्गत, विद्युतीकरण कार्यों के लिए और उपभोक्ताओ को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों का वित्तपोषण किया गया था।

भारत सरकार ने हाल ही में एक वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) - सुधार आधारित और परिणाम संबद्ध स्कीम का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का परिव्यय 5 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए 3,03,758 करोड़ रुपये है जिसमें प्राक्कलित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के अंतर्गत, आईटी हस्तक्षेप के साथ-साथ विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मरों सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के उन्नयन और संचारी प्रणाली मीटरिंग एवं 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए अखिल भारत प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना आदि के लिए पात्र डिस्कॉम को वित्त पोषण प्रदान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के प्रथक्करण, उप-परेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है।

उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र के आईटी सक्षमीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) भी शुरू की गई थी।

झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिलों से डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और सौभाग्य स्कीमों के अंतर्गत अनुचित कार्यान्वयन के संबंध में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4802

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीयूजीजेवाई के तहत ग्राम विद्युतीकरण)

4802. श्री अजय निषाद:
श्री चन्दन सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(घ) क्या शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के निष्पादन की समय-समय पर बिहार राज्य सहित पूरे देश के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:

(i) केंद्रीय स्तर पर, सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में डीडीयूजीजेवाई संबंधी अंतर-मंत्रालयी मॉनीटरिंग समिति भी इस योजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करती है। इसके साथ-साथ,

विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना और मॉनीटरिंग (आरपीएम) बैठकों में राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों के साथ प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ii) इस स्कीम के कार्यान्वयन और पूर्णता को सुकर बनाने के लिए राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध पर समय विस्तार दिया गया था।

(iii) राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रगति की निगरानी की। इसके अतिरिक्त, मासिक आधार पर और पाक्षिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की गई।

(iv) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड, नोडल एजेंसी, क्षेत्रीय स्तर पर अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। नोडल एजेंसी ने डीडीयूजीजेवाई स्कीम के मूल्यांकन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के बाद मूल्यांकन के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तृतीय पक्ष मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी, नई दिल्ली को भी नियुक्त किया।

(v) जिला स्तर पर, जिले के वरिष्ठतम माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में एवं संयोजक के रूप में जिला अधिकारी के साथ जिले के अन्य संसद सदस्यों सह-अध्यक्षता में (दिशा) जिला विकास समन्वय और मॉनीटरिंग समिति (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में) की बैठकों में प्रगति की समीक्षा की गई।

बिहार सहित राज्यों द्वारा कोई प्रमुख मुद्दे सूचित नहीं किए गए थे।

(ग) से (ङ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक 18,374 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकृत किए जाने की सूचना दी गई थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4802 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान विद्युतीकृत गैर-आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
कुल		18,374

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4819

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

4819. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आरडीएसएस (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना) में शामिल की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत क्षेत्र में लागू किए गए केंद्र सरकार के नए वित्तीय सहायता पैकेज का विवरण क्या है;

(ग) आरडीएसएस के तहत केरल राज्य में परियोजना प्रस्तावों और उसकी स्थिति का कासरगोड और कन्नूर सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रूपये और केन्द्र सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रूपये है। स्कीम के विभिन्न घटकों में पुराने/घिसे हुए कंडक्टरों को बदलने जैसे हानि को कम करने वाले कार्य; उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) का प्रावधान; एरियल बंच केबल्स के लिए प्रावधान; और नेटवर्क संवर्धन एवं प्रणाली आधुनिकीकरण कार्य जैसे पर्यवेक्षकीय नियंत्रण तथा आंकड़ा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणालियां, आईटी/ओटी सक्षमीकरण, स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) : स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के जिला-वार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, आरडीएसएस के अंतर्गत केरल के डिस्कॉमों के लिए अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों के संक्षिप्त ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 31.03.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4819 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल), केरल के लिए अनुमोदित कार्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल परियोजना लागत**	**जीबीएस**	**पीएमए प्रभार**	**पीएमए प्रभारों के लिए जीबीएस**
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	8175.05	1389.26	30.66	18.39
2	अवसंरचनात्मक कार्य-हानि में कमी	2235.78	1341.47	33.54	20.12
	कुल	**10410.83**	**2730.73**	**64.20**	**38.51**

त्रिशूर निगम विद्युत विभाग, केरल के लिए अनुमोदित कार्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**विवरण**	**कुल परियोजना लागत**	**जीबीएस**	**पीएमए प्रभार**	**पीएमए प्रभारों के लिए जीबीएस**
1	स्मार्ट मीटरिंग कार्य	25.38	5.63	0.10	0.06
2	अवसंरचनात्मक कार्य-हानि में कमी	76.35	45.81	1.15	0.69
	कुल	**101.73**	**51.44**	**1.25**	**0.75**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4823

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली की चोरी

4823. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर जौनपुर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में जिले-वार और माह-वार औसतन कितने घंटे की बिजली कटौती की गई है;

(ग) जौनपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार का जौनपुर जिले में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) उत्तर प्रदेश सरकार ने जौनपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विद्युत चोरी रोधक पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं।

(ii) यूपीपीसीएल ने प्रवर्तन टीम की संख्या को पूर्व में 33 से बढ़ाकर 88 कर दी गई है।

(iii) वितरण कंपनियां ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल के माध्यम से बिजली की चोरी के विरूद्ध छापा मार टीमों की निगरानी करती हैं।

(iv) बिजली की चोरी रोकने के लिए लाइनमैन तथा जेई की टीम बनाते हुए और सतर्कता टीम द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया गया है।

(v) आरएमएस पोर्टल की दिनांक 01.04.2021 से 24.03.2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार, जौनपुर जिले में विभागीय तथा सतर्कता टीमों द्वारा बिजली की चोरी के विरूद्ध कुल 925 छापे मारे गए थे, जिसमें 266 मामले बिजली की चोरी के हैं और 107 मामले बिजली के प्रयोग में अनियमितता के हैं, और ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ख) : उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विद्युत आपूर्ति का शेड्यूल निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**शहरी क्षेत्रों में**	**तहसील मुख्यालय में**	**ग्रामीण क्षेत्रों में**
2020-21	24:00 घंटे	21:30 घंटे	18:00 घंटे
2021-22	24:00 घंटे	21:30 घंटे	18:00 घंटे

(ग) : जौनपुर जिले के शहरी क्षेत्र में, इस समय कोई विद्युतीकरण स्कीम नहीं चल रही है। जौनपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में, दिनांक 24.03.2022 तक आरजीजीवीवाई (11वीं) योजना (तत्कालीन डीडीयूजीजेवाई) में 3637 माजरे, डीडीयूजीजेवाई (नई योजना) में 57 माजरे और सौभाग्य योजना में 4225 माजरे विद्युतीकृतकिए गए हैं।

(घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2021 तक उत्तर प्रदेश के सभी माजरों में प्रत्येक इच्छुक घरों को अपेक्षित/आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करते हुए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4830

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

कोयले की अत्यधिक कमी

4830. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कोयले के कम उत्पादन और इसके आयात में कमी के कारण देश में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि बिजली संकट न हो;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) द्वारा अपने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 70,000 टन कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कोलरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान स्वदेशी कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 559 एमटी की तुलना में लगभग 601 एमटी था, इस प्रकार, लगभग 7.5% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कैप्टिव कोयला खदानों से कोयले की प्राप्ति भी अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 44.9 एमटी की तुलना में बढ़कर लगभग 64.1 एमटी हो गई है। इसलिए, चालू वर्ष के दौरान कम आयात (अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के 42.4 एमटी की तुलना में 24.2 एमटी) की प्रतिपूर्ति स्वदेशी स्रोतों द्वारा हुई है और ताप विद्युत संयंत्र अपनी कोयले की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें हैं।

सरकार ने विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) विद्युत संयंत्रों की अपना कोयला स्टॉक बढ़ाने में सहायता करने के लिए, सीआईएल ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों से राज्य/केंद्रीय जेनकोज को (सड़क-सह-रेल) आरसीआर/सड़क मार्ग के माध्यम से उठाने के लिए अक्तूबर, 2021 में लगभग 5.2 एमटी और दिसंबर, 2021 में 6 एमटी कोयले का प्रस्ताव किया।

(ii) सरकार ने संशोधित कोयला स्टॉकिंग मानदंड जारी किए हैं, जिसमें विद्युत संयंत्रों को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक, यदि आवश्यक हो तो मिश्रण बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया गया है।

(ग) और (घ) : आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले की निर्देशात्मक मांग (0.75 लाख टन/दिन) की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दे का समाधान करने के लिए, विद्युत, कोयला, रेलवे मंत्रालय, सीईए, सीआईएल तथा एससीसीएल के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

उप-समूह ने अपनी दिनांक 22.03.2022 को आयोजित बैठक में महानदी कोल लिमिटेड (एमसीएल) तथा एससीसीएल को आंध्र प्रदेश के संयंत्रों को क्रमश: 10 रेक प्रतिदिन और 7 रेक प्रतिदिन की आपूर्ति करने की सलाह दी है। उप-समूह ने उन्हें एमसीएल से आरसीआर मोड के तहत 4 रेक उठाने की सलाह भी दी है।

ii. इसके अतिरिक्त, सीआईएल ने आंध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों की कोयला स्टॉक बढ़ाने में सहायता करने के लिए आरसीआर/सड़क मार्ग द्वारा उठाने के लिए राउंड-1 (अक्तूबर, 2021) के दौरान 4.97 एलटी और राउंड-2 (दिसंबर, 2021) के दौरान 4.50 एलटी कोयले का प्रस्ताव किया है।

****